सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-1031/DL/10/2023-APCR दिनांक :17.06.2025

सेवा मे,

पुलिस आयुक्त
दिल्ली पुलिस
पुलिस मुख्यालय
जय सिंह रोड,
नई दिल्ली -110001
Email:cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में - श्रीमती किरण देवी मीणा, पत्नी स्वर्गीय महावीर प्रसाद मीणा, मकान नंबर 49/बी 1 , ओम विहार, फेस - 3 , उत्तम नगर, नई दिल्ली का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती किरण देवी मीणा,
पत्नी - स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद मीणा,
मकान नंबर 49/बी 1 ,
ओम विहार, फेस - 3 ,
उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059
Mob No. 8447669863

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-1031/DL/10/2023-APCR

श्रीमती किरण देवी मीणा, पत्नी स्वर्गीय महावीर प्रसाद मीणा, मकान नंबर 49/बी 1 , ओम विहार, फेस - 3 , उत्तम नगर, नई दिल्ली के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	16.05.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री महावीर प्रसाद मीणा की पत्नी श्रीमति किरण देवी मीणा, जिनके पति का 2016 में ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, वर्तमान में अपने बच्चों के साथ उत्तम नगर में निवास कर रही हैं। उन्होंने आयोग को बताया कि डेढ़ वर्ष पूर्व निवास स्थान बदलने के बाद से उनके नए पड़ोसी — मीना, उसका पति, उसकी बहन सोनिया और अन्य लोग — लगातार उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये लोग उन्हें सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग से रोकते हैं, जातिसूचक गालियाँ देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं तथा उनके स्वर्गीय पति के बारे में अपमानजनक बातें कहते हैं। महिला द्वारा ऑनलाइन पुलिस शिकायत (शिकायत संख्या: 801012216114) दर्ज की गई थी, जिसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि पुलिस में प्रभाव होने का हवाला देकर मीना और उसके परिजन दबाव बनाते हैं। महिला का कहना है कि पड़ोसी उन्हें इलाके से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हैं, जिससे वह और उनके बच्चे भय और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। उन्होंने स्वयं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
आयोग द्वारा मामले में 03.04.2023 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली को नोटिस भेजा गया था।

2. संबन्धित विभाग से आयोग के नोटिस के संबंध मे जवाब दिनांक 05.06.2023 प्राप्त हुआ था जिसमे आयोग को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में एसीपी/डाबड़ी/द्वारका जिला के माध्यम से जांच कराई गई। जांच के दौरान जांच अधिकारी (ईओ) ने शिकायतकर्ता के घर का निरीक्षण किया और उनसे पूछताछ की, किंतु वह अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सकीं। उन्होंने लिखित रूप में यह भी दिया कि वह फिलहाल कोई बयान नहीं देना चाहती हैं तथा अपने बयान के लिए कुछ और समय चाहती हैं।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

3. शिकायतकर्ता ने अग्रिम अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2024 द्वारा आयोग को अवगत कराया है कि उन्होंने जातिसूचक प्रताड़ना के संबंध में शिकायत की थी, जिसमें आरोपित व्यक्ति क्षेत्र का पुराना अपराधी है। हाल में वहां बसने के कारण उन्हें कोई स्थानीय सहयोग नहीं मिल रहा और वे गवाह प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। उनके पास एक वीडियो प्रमाण मौजूद है, जिसके आधार पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कुछ और समय देने और मामला बंद न करने का निवेदन किया है, क्योंकि अब तक पुलिस ने एफ.आई.आर भी दर्ज नहीं की है। शिकायतकर्ता ने अपनी असहाय स्थिति में सुरक्षा और सहायता की मांग की है।

4. तद्नुसार मामले में दिनांक 16.05.2025 को आयोग द्वारा सिटिंग तय की गई और सम्बन्धित को सिटिंग नोटिस जारी किए गए

5. दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान दिल्ली पुलिस उपायुक्त, द्वारका जिला व् प्रार्थिनी उपस्थित रहे ।

मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

1. **इस मामले में पुलिस उपायुक्त प्रार्थिनी व् उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा मामले में पुन जांच कर अनावेदको के खिलाफ कानून संगत कार्यवाही करेंगे**
2. **जैसा की प्रार्थिनी ने सुनवाई के दौरान अवगत करवाया की स्थानीय पुलिस उनके बार बार बोलने पर भी संज्ञान नही ले रही है तो पुलिस उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे की आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति न हो**
3. **मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 15 दिवस में आयोग को प्रेषित की जाए**

आशा लकड़ा
12/06/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/ATY-1031/DL/10/2023-APCR)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 16.04.2025 at 04:00 P.M. in the case of Representation of Mrs. Kiran Devi Meena, wife of Late Mahavir Prasad Meena, resident of House No. 49/B-1, Om Vihar, Phase-3, Uttam Nagar, New Delhi, regarding harassment through caste-based remarks .

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**Commissioner of Police, Delhi**		
1.	Nishant Gupta, Addl DCP /Dwarka	9818079068	[illegible]
2.			
3.			
4.			
III	**Petitioner**		
1.	किरण		
2.			